<u>मा0 उच्च न्यायालय संदर्भ / अत्यन्त महत्वपूर्ण</u>

पत्रांक-न्याय-2 / वापसी /19/ 2008-09 / 0809067 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग) अक्टूबर

लखनऊ :: दिनांक :: 01 :: :: 08

1- **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,**
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- **समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर,**
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

3- **समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0/स0के0/प्रवर्तन/वि0अनु0शा0)**
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

4- **<u>समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर/वाणिज्य कर अधिकारी।</u>**

विषय :- **<u>व्यापारियों की वापसी योग्य धनराशि का रिफण्ड दिये जाने के साथ ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में।</u>**

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुख्यालय के पत्र संख्या-न्याय-2-वापसी-सामान्य(85-86)-7568 / बिक्रीकर, दिनांक 04-03-86 द्वारा मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-165/77 दिनांक 12-10-77 तथा पत्र संख्या-विधि-187/77 दिनांक 09-12-77 का सन्दर्भ देते हुये यह निर्देश दिये गये थे कि जिन मामलों में व्यापारी के धनराशि की वापसी विलम्ब से हुई हो, उनमें व्यापारी को ब्याज देने की कार्यवाही तत्परता से की जाये, यदि व्यापारी ब्याज की मांग नहीं करता है, किन्तु उसे विधिवत ब्याज देय है, तो व्यापारी के ब्याज न मांगने के आधार पर ब्याज की अदायगी न रोकी जाये।

पुन: मुख्यालय के परिपत्र संख्या-5996 दिनांक 08-01-87 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि व्यापारियों को देय ब्याज अवश्य दिया जाये भले ही ब्याज की मांग न की गयी हो क्योंकि नियमानुसार ब्याज देना एक विधिक बाध्यता है। उपर्युक्त सम्बंध में मुख्यालय के पत्र संख्या-न्याय-2-वापसी/2001-02/1484/परिपत्र संख्या-215, दिनांक 08-08-2001 एवं परिपत्र संख्या-सी0टी0टी0/निरी0अनु0/10-बी-शिकायत-10(04-05)/कानपुर/1086/व्यापार कर, दिनांक 10-11-2004 कम्प्यूटर पत्र संख्या-607/24-11-2004 तथा पत्र संख्या-न्याय-2-वापसी रिफण्ड-04-05/2038/व्यापार कर, दिनांक 09-12-2004 द्वारा व्यापारियों की वापसी योग्य धनराशि समय से दिये जाने के सम्बंध में प्रभावी/कठोर निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या-न्याय-5(1)/रिट-गाजियाबाद-परिपत्र/2005-06/335/व्यापार कर, दिनांक 12-05-05 द्वारा यह भी निर्देश दिये गये थे कि हर स्तर पर अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि देय रिफण्ड तीन माह के अन्दर ही दे दिया जाये। यदि किसी मामले में विलम्ब होता है तो रिफण्ड देने के साथ-साथ व्यापारी को बनने वाली ब्याज की राशि से भी अवगत कराया जाये तथा तुरन्त उसके लिये मुख्यालय से बजट प्राप्त करके अधिकतम एक माह में ब्याज का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाये, परन्तु इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी मुख्यालय पर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और व्यापारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें भी दायर की जा रही हैं।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-528/04 सर्वश्री बी0आर0 बिल्डर्स बनाम कमिश्नर, व्यापार कर एवं अन्य के मामले में विगत माह अगस्त-08 में सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिफण्ड की धनराशि के साथ ब्याज का भुगतान न किये जाने को गम्भीरता से लिया गया और निर्देश दिया गया कि रिफण्ड विलम्ब से दिये जाने की स्थिति में ब्याज दिया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि यदि भविष्य में ऐसा पाया जाता है कि विलम्ब से रिफण्ड दिये जाने की स्थिति में ब्याज नहीं दिया गया है, तो विभाग के विरुद्ध भारी कास्ट अवार्ड की जा सकती है।

अतएव निर्देश दिये जाते हैं कि व्यापारी को नियमानुसार समय से देय वापसी योग्य धनराशि का रिफण्ड दिया जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि अनावश्यक ब्याज देयता की स्थिति न उत्पन्न हो। यदि किन्हीं विशेष कारणों से रिफण्ड देने में विलम्ब होता है तो ब्याज देने के लिये समय से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराते हुये नियमानुसार ब्याज दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया है, तो सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
2- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
3- अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4- **एडीशनल कमिश्नर(लेखा)वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।**
5- अपर निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ।
6- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
7- न्याय अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को दस प्रतियाँ / मैनुअल अनुभाग को पाँच प्रतियाँ अतिरिक्त।

एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।